Regarding pollution caused by power plant, fertilizer and sugar factories in Shahjahanpur Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh- Laid.

श्री अरुण कुमार सागर (शाहजहाँपुर) **:** मैंने नियम 377 के अधीन सूचना के अन्तर्गत 18-12-2024 में भी सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था कि मुझे अपने संसदीय क्षेत्र शाहजहांपुर के क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान संसदीय क्षेत्र में स्थित रोजा पावर प्लांट, कृभको फटिलाईजर्स लि०, अवध शुगर एंड एनर्जी लि० और डालमिया भारत शुगर एंड इण्डस्ट्रीज लि० के विरूद्ध निरंतर शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि इन संयंत्रों के द्वारा भारी पैमाने पर प्रदूषण फैलाया जा रहा है और इसके प्रदूषित जल से बड़ी दुर्गंध होने के परिणामस्वरूप वायु प्रदूषण हो रहा है तथा निकटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अस्थमा, फेफड़े. हृदय रोग संबंधी गंभीर बीमारियां भी पनप रही हैं तथा प्रदूषित पानी से किसानों की फसलें भी नष्ट हो रही हैं । मैं यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने श्रमिकों के हित में जो श्रम कानून बनाए हैं, उनका भी मेरे संसदीय क्षेत्र में स्थित उपरोक्त संयंत्रों द्वारा घोर उल्लंघन किया जा रहा है तथा इन कम्पनियों के द्वारा सी०एस०आर० निधि का भी बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया जा रहा है और कृभको फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (टाउनशिप) की स्थिति तो यह है कि उसके द्वारा सीएसआर निधि से अनुचित तरीके से सामुदायिक केन्द्र का निर्माण करवाया जा रहा है । मैंने अपने संसदीय क्षेत्र में स्थित उपरोक्त संयंत्रों के विरूद्ध पर्यावरण को प्रदूषित किए जाने, श्रम कानूनों का उल्लंघन किए जाने और सीएसआर निधि का दुरुपयोग किए जाने के बारे में संबंधित अधिकारियों को विस्तारपूर्वक अनेक पत्र लिखे हैं । लेकिन, इन पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है ।

मेरा सरकार से पुन:अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र शाहजहांपुर (उ०प्र०) में स्थित उपरोक्त सभी संयंत्रों के विरुद्ध केन्द्रीय मंत्रालय स्तर पर उच्च स्तरीय तकनीकी समिति गठित करके जांच करवाई जाने और जांचोपरांत की गई कार्यवाही से मुझे अवगत कराए जाने हेतु निर्देशित किया जाए ।